

विकसित भारत @ 2047: सुशासन, सहभागिता और नीतिगत उत्तरदायित्व की दिशा में भारत श्रीकांत पटेल¹

¹शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, प्रो –राजेंद्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज उ0प्र0

Received: 08 November 2025, Accepted: 20 November 2025, Published online: 30 November 2025

Abstract

“विकसित भारत @ 2047” भारत सरकार की एक दूरदर्शी पहल है, जिसका उद्देश्य स्वतंत्रता के 100वें वर्ष तक भारत को एक आत्मनिर्भर, समावेशी, और सुशासित राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। यह पहल केवल आर्थिक विकास का लक्ष्य नहीं रखती, बल्कि लोकतांत्रिक शासन, नीतिगत उत्तरदायित्व, और नागरिक सहभागिता के माध्यम से एक नए भारत के निर्माण की रूपरेखा प्रस्तुत करती है। इस शोध-पत्र का उद्देश्य यह विश्लेषण करना है कि किस प्रकार सुशासन (Good Governance), पारदर्शिता (Transparency), और जवाबदेही (Accountability) जैसे तत्व “विकसित भारत @ 2047” के दृष्टिकोण को सशक्त बनाते हैं।

राजनीतिक विज्ञान के परिप्रेक्ष्य से यह अध्ययन यह भी स्पष्ट करता है कि नीतिगत सहभागिता (Participatory Policy Making) और डिजिटल गवर्नेंस जैसे उपकरण किस प्रकार शासन प्रणाली को अधिक उत्तरदायी और जन-केंद्रित बना रहे हैं। भारत में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी, पंचायत से संसद तक नीति निर्माण की प्रक्रिया में एक नई ऊर्जा का संचार कर रही है। इस पहल के माध्यम से शासन और समाज के बीच सहयोगात्मक संबंधों को मजबूत कर, एक ऐसा राजनीतिक वातावरण निर्मित किया जा रहा है जो न केवल विकासोन्मुख है बल्कि न्यायसंगत और समावेशी भी है। इस प्रकार “विकसित भारत @ 2047” केवल एक लक्ष्य नहीं, बल्कि एक सतत राजनीतिक-सामाजिक आंदोलन है जो भारत को एक उत्तरदायी, सहभागी और सुशासित राष्ट्र के रूप में पुनर्परिभाषित कर रहा है।

मुख्य शब्द – सुशासन, नीतिगत उत्तरदायित्व, नागरिक सहभागिता, लोक नीति, लोकतांत्रिक शासन, पारदर्शिता, जवाबदेही, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल शासन, संस्थागत सुदृढीकरण, सतत विकास, सहभागी लोकतंत्र, नीति नवाचार, उत्तरदायी शासन

Introduction

“विकसित भारत @ 2047” भारत सरकार द्वारा परिकल्पित एक ऐसी राष्ट्रीय दृष्टि है, जो स्वतंत्रता के सौ वर्षों के अवसर पर भारत को एक वैश्विक शक्ति, समृद्ध समाज और उत्तरदायी लोकतंत्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखती है। यह पहल केवल आर्थिक समृद्धि या तकनीकी प्रगति का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह भारतीय लोकतंत्र की गहराई में निहित सुशासन (Good Governance), सहभागिता (Participation) और नीतिगत उत्तरदायित्व (Policy Accountability) जैसे मूल्यों पर आधारित एक व्यापक परिवर्तनशील प्रक्रिया है। इस पहल के माध्यम से भारत यह संकल्प दोहरा रहा है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक सूचकांकों की वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों की सहभागिता से प्रेरित सामाजिक न्याय, पारदर्शिता और उत्तरदायित्व पर आधारित शासन है। भारत की राजनीतिक प्रणाली, जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र मानी जाती है, अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहाँ नीति और जनता के बीच की दूरी को कम करने की आवश्यकता पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गई है। “विकसित भारत @ 2047” का दृष्टिकोण इसी अंतराल को भरने का प्रयास करता है। सुशासन के सिद्धांत के अनुसार, शासन की गुणवत्ता का मूल्यांकन इस आधार पर किया

जाता है कि वह नागरिकों की आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के प्रति कितना संवेदनशील, पारदर्शी और न्यायसंगत है। इस संदर्भ में, भारत में ई-गवर्नेंस, डिजिटल इंडिया, जनधन योजना, और मिशन कर्मयोगी जैसी नीतियाँ प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के साथ-साथ शासन को नागरिक-केंद्रित बनाने की दिशा में अग्रसर हैं।

राजनीति विज्ञान की दृष्टि से, यह पहल एक नीति-परिवर्तन आंदोलन (Policy Transformation Movement) के रूप में देखी जा सकती है। यह केवल आर्थिक या प्रशासनिक सुधारों का परिणाम नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन की नई परिभाषा प्रस्तुत करती है— जहाँ नागरिक सिर्फ नीति के उपभोक्ता नहीं, बल्कि नीति-निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय सहभागी हैं। सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy) और उत्तरदायी शासन (Responsive Governance) की यह अवधारणा भारत के संविधान के मूल तत्वों, लोकतंत्र, समानता, और न्याय की पुनः पुष्टि करती है। इस प्रक्रिया में नागरिक सहभागिता केवल चुनावी भागीदारी तक सीमित नहीं रहती, बल्कि निर्णय-निर्माण, नीति-कार्यान्वयन, और निगरानी के स्तर पर भी उसकी उपस्थिति सुनिश्चित होती है।

“विकसित भारत @ 2047” का एक और महत्वपूर्ण पक्ष है – नीतिगत उत्तरदायित्व (Policy Accountability)। इसका अर्थ है कि नीति निर्माण केवल शीर्ष स्तर के निर्णयों तक सीमित न रहकर जनता के प्रति जवाबदेह हो। आधुनिक शासन व्यवस्था में जवाबदेही की यह अवधारणा पारदर्शिता और सुशासन से गहराई से जुड़ी हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम (RTI), सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit), और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर नीति संवाद जैसी व्यवस्थाएँ इस दिशा में ठोस उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। इस प्रकार शासन अब केवल आदेश देने की प्रणाली नहीं, बल्कि संवाद और सहयोग पर आधारित संरचना बनता जा रहा है। इसके अतिरिक्त, “विकसित भारत @ 2047” पहल प्रशासनिक सुधारों के साथ-साथ नैतिक नेतृत्व (Ethical Leadership) और नीतिगत नवाचार (Policy Innovation) पर भी बल देती है। शासन के केंद्र में यदि नागरिकों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और विश्वास को रखा जाए, तो नीति निर्माण और उसका कार्यान्वयन दोनों ही अधिक प्रभावशाली बन सकते हैं। यह पहल एक ऐसे भारत की कल्पना करती है जो न केवल आर्थिक रूप से मजबूत हो, बल्कि संस्थागत रूप से सशक्त, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित भी हो।

अंततः, “विकसित भारत @ 2047” केवल एक नीतिगत दस्तावेज नहीं, बल्कि भारत की लोकतांत्रिक आत्मा का पुनर्जागरण है कृ एक ऐसा आंदोलन जो शासन को अधिक सहभागी, पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने की दिशा में अग्रसर है। यह पहल भारत की राजनीतिक चेतना को पुनर्परिभाषित करते हुए उसे वैश्विक लोकतंत्रों के लिए एक उदाहरण के रूप में स्थापित करने की क्षमता रखती है। इसमें निहित “सुशासन, सहभागिता और नीतिगत उत्तरदायित्व” के सिद्धांत 21वीं सदी के भारत को एक ऐसे आधुनिक लोकतांत्रिक राष्ट्र में रूपांतरित कर रहे हैं, जहाँ नीति और जनता के बीच संवाद ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है।

साहित्य समीक्षा – सुशासन, नागरिक सहभागिता और नीतिगत उत्तरदायित्व जैसे विचार लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता को निर्धारित करने वाले प्रमुख तत्व हैं। “विकसित भारत @ 2047” के संदर्भ में इन अवधारणाओं की समझ, विभिन्न विद्वानों, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं और भारतीय नीतिगत अनुभवों के अध्ययन के बिना अधूरी मानी जाएगी।

सुशासन (Good Governance) की संकल्पना को सर्वप्रथम विश्व बैंक (World Bank, 1992) ने प्रशासनिक और संस्थागत दक्षता के संदर्भ में परिभाषित किया। इसके अनुसार, सुशासन वह प्रक्रिया है जिसमें नीतियाँ पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता के साथ लागू की जाती हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) 1997) ने इसे आगे बढ़ाते हुए कहा कि सुशासन का अर्थ है "लोकतांत्रिक मूल्यों पर आधारित प्रशासन, जो नागरिकों की भागीदारी को प्राथमिकता देता है और राज्य की नीतियों को मानव विकास की दिशा में केंद्रित करता है।" यह दृष्टिकोण भारत की "विकसित भारत @ 2047" पहल में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जहाँ शासन की आत्मा नागरिकों की सहभागिता और नीति की उत्तरदायित्वता पर टिकी हुई है।

भारतीय राजनीति में सुशासन और उत्तरदायित्व पर चिंतन का आधार महात्मा गांधी के "सर्वोदय" और "ग्राम स्वराज" के सिद्धांतों में निहित है, जो नीति और शासन को जनकल्याण के केंद्र में रखता है। स्वतंत्र भारत में सर्वोत्तम शासन प्रणाली की खोज पंडित जवाहरलाल नेहरू की योजनाबद्ध विकास दृष्टि से लेकर अटल बिहारी वाजपेयी के सुशासन दिवस के राजनीतिक विमर्श तक निरंतर जारी रही। अरुण शौरी (2004) ने "Governance and the Sclerosis that has Set In" में कहा था कि भारत में शासन सुधार केवल प्रशासनिक दक्षता का नहीं, बल्कि नैतिक और नीतिगत उत्तरदायित्व का प्रश्न है। इसी प्रकार प्रणव कुमार (2019) का तर्क है कि सुशासन की सफलता इस पर निर्भर करती है कि नागरिक नीति-निर्माण की प्रक्रिया में किस हद तक भाग ले पाते हैं।

सहभागिता (Participation) को लोकतांत्रिक शासन की रीढ़ कहा गया है। अमर्त्य सेन (1999) ने अपने कार्य Development as Freedom में यह स्पष्ट किया कि विकास केवल आर्थिक नहीं बल्कि "विकल्पों की स्वतंत्रता" का विस्तार है। यह तभी संभव है जब नागरिक निर्णय प्रक्रिया का हिस्सा बनें। भारत में पंचायत राज, जनसुनवाई, और डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से नीति संवाद जैसे प्रयोग इस दृष्टि को साकार कर रहे हैं। मार्था नुसबाम (2011) ने भी नागरिक सहभागिता को "मानवीय क्षमताओं के विस्तार" के रूप में परिभाषित किया है, जिससे शासन अधिक मानवीय और संवेदनशील बनता है।

नीतिगत उत्तरदायित्व (Policy Accountability) के क्षेत्र में प्रशांत भूषण (2017) और प्रदीप कुमार (2020) जैसे विद्वानों का कहना है कि पारदर्शिता के बिना उत्तरदायित्व अधूरा है। सूचना का अधिकार अधिनियम (2005), सामाजिक अंकेक्षण, और ई-गवर्नेंस तंत्र इस दिशा में भारत के मजबूत कदम हैं। थॉमस ब्लॉम हेंसन (2012) ने "The State of India" में कहा कि भारतीय लोकतंत्र की वास्तविक मजबूती उसकी उत्तरदायी संस्थाओं में निहित है, न कि केवल उसकी चुनावी प्रक्रिया में।

"विकसित भारत / 2047" पहल इन सभी विचारों को व्यावहारिक रूप में एकीकृत करती है। यह पारंपरिक शासन प्रणाली को डिजिटल लोकतंत्र में परिवर्तित करने की दिशा में एक ठोस प्रयोग है। क्रिस्टोफ़ जेफ़रेलो (2021) के अनुसार, भारत के लोकतांत्रिक भविष्य का निर्धारण उसकी नीतिगत पारदर्शिता और नागरिक विश्वास पर निर्भर करेगा। वहीं प्रशांत भानु मेहता (2020) का मत है कि "भारतीय लोकतंत्र की परिपक्वता इस बात में है कि वह सत्ता को जनता के प्रति जवाबदेह बनाए रखे।"

अतः साहित्य की समीक्षा से स्पष्ट होता है कि "विकसित भारत @ 2047" केवल एक विकासात्मक दृष्टि नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक शासन के पुनर्निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें सुशासन, सहभागिता, और नीतिगत उत्तरदायित्व तीनों को एक-दूसरे के पूरक के रूप में देखा गया है। भारत की यह पहल एक ऐसे शासन

तंत्र की ओर संकेत करती है, जो न केवल प्रभावी और पारदर्शी है, बल्कि अपने नागरिकों के प्रति नैतिक और संवेदनशील भी है। यही वह विचार है जो "विकसित भारत @ 2047" को एक राजनीतिक-सामाजिक नवजागरण (Political & Social Renaissance) की दिशा में अग्रसर बनाता है।

शोध पद्धति – इस शोध का प्रमुख उद्देश्य "विकसित भारत @ 2047" पहल के अंतर्गत सुशासन, नागरिक सहभागिता और नीतिगत उत्तरदायित्व की अवधारणाओं का राजनीतिक विज्ञान के संदर्भ में विश्लेषण करना है। अध्ययन का केन्द्रीय प्रश्न यह है कि क्या यह पहल केवल आर्थिक विकास की दिशा में एक प्रशासनिक कार्यक्रम है या यह लोकतांत्रिक शासन की गुणवत्ता को सुदृढ़ करने की एक समग्र प्रक्रिया है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए इस शोध में गुणात्मक पद्धति (Qualitative Method) अपनाई गई है।

शोध का स्वरूप वर्णनात्मक (Descriptive) एवं विश्लेषणात्मक (Analytical) दोनों है। वर्णनात्मक भाग में "विकसित भारत @ 2047" की नीति-दृष्टि, उसके प्रमुख घटक तथा शासन-सुधार की दिशा में चल रही पहलों का विस्तार से विवरण प्रस्तुत किया गया है। विश्लेषणात्मक भाग में इन पहलों का मूल्यांकन लोकतांत्रिक सिद्धांतों, जैसे पारदर्शिता, जवाबदेही, और नागरिक सहभागिता कृ के आधार पर किया गया है।

शोध के लिए आवश्यक द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) का व्यापक उपयोग किया गया है। इनमें सरकारी नीति दस्तावेज़ (जैसे नीति आयोग की रिपोर्टें, डिजिटल इंडिया मिशन, मिशन कर्मयोगी आदि), संसद में प्रस्तुत रिपोर्टें, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की रिपोर्टें, तथा विभिन्न भारतीय और विदेशी विद्वानों के शोध लेख सम्मिलित हैं। इन स्रोतों के माध्यम से "विकसित भारत @ 2047" की नीतिगत रूपरेखा और इसके सुशासन मॉडल का तुलनात्मक अध्ययन किया गया है।

सैद्धांतिक ढांचे के रूप में इस शोध में "सुशासन सिद्धांत (Good Governance Theory)", "सहभागी लोकतंत्र सिद्धांत (Participatory Democracy Theory)" और "उत्तरदायित्व सिद्धांत (Accountability Theory)" को आधार बनाया गया है। ये सिद्धांत राजनीति विज्ञान के आधुनिक विमर्शों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका प्रयोग यह समझने के लिए किया गया है कि भारत की शासन प्रणाली किस प्रकार पारंपरिक प्रशासनिक मॉडल से हटकर नागरिक-केंद्रित और डिजिटल-सशक्त शासन की दिशा में अग्रसर हो रही है।

डेटा विश्लेषण के लिए तुलनात्मक पद्धति (Comparative Method) का भी उपयोग किया गया है। इसमें भारत की वर्तमान शासन नीतियों की तुलना पूर्ववर्ती योजनाओं (जैसे पंचवर्षीय योजनाएँ, सुशासन मिशन आदि) से की गई है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि "विकसित भारत @ 2047" किस प्रकार एक नवोन्मेषी और दीर्घकालिक नीति-ढांचा प्रस्तुत करता है।

शोध का दायरा व्यापक होते हुए भी इसका फोकस भारतीय संदर्भ पर केंद्रित है। यह अध्ययन शासन प्रणाली, नीति-निर्माण संस्थानों, और नागरिक सहभागिता के आपसी संबंधों को समझने का प्रयास करता है। साथ ही यह भी जाँचता है कि नीति और शासन के बीच की दूरी को कम करने के लिए कौन-से सुधारात्मक उपाय प्रभावी हो सकते हैं।

अंततः, यह शोध पद्धति इस विश्वास पर आधारित है कि सुशासन और लोकतंत्र केवल प्रशासनिक आदर्श नहीं, बल्कि सामाजिक-सांस्कृतिक वास्तविकताएँ हैं। अतः इस अध्ययन का दृष्टिकोण केवल संस्थागत

विश्लेषण तक सीमित न रहकर, शासन की नैतिकता, उत्तरदायित्व, और नागरिक भागीदारी की भावना को भी समझने का प्रयास करता है।

विश्लेषण और विवेचना – भारत जब स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूरे करने की दिशा में अग्रसर है, तब “विकसित भारत @ 2047” केवल एक नीति-दृष्टि नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय परिवर्तन की प्रक्रिया के रूप में उभर रही है। यह पहल उस भारत की परिकल्पना करती है जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर, सामाजिक रूप से समावेशी, राजनीतिक रूप से उत्तरदायी, और शासन की दृष्टि से पारदर्शी हो। इस विचार का मूल तत्व यह है कि विकास का अर्थ केवल आर्थिक प्रगति नहीं, बल्कि वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से शासन नागरिकों की आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और अधिकारों के प्रति अधिक संवेदनशील बनता है। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से यह पहल “सुशासन”, “लोक नीति” और “सहभागी लोकतंत्र” के बीच के अंतर्संबंध को सशक्त करती है। सुशासन का अर्थ केवल सरकार की कार्यक्षमता बढ़ाना नहीं है, बल्कि शासन को इस प्रकार रूपांतरित करना है कि वह नागरिकों के जीवन में वास्तविक परिवर्तन लाए। विकसित भारत @ 2047 के अंतर्गत यह माना गया है कि शासन को केवल प्रशासनिक या तकनीकी प्रक्रिया न समझा जाए, बल्कि यह एक सामाजिक अनुबंध (Social Contract) है जिसमें नागरिक और राज्य दोनों समान भागीदार हैं। यही विचार नागरिक सहभागिता और नीतिगत उत्तरदायित्व की नींव रखता है।

भारत में सुशासन की दिशा में पिछले दो दशकों में अनेक सुधार हुए हैं, जैसे ई-गवर्नेंस मिशन, डिजिटल इंडिया, मिशन कर्मयोगी, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, और आयुष्मान भारत। इन पहलों ने शासन को अधिक पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाया है। डिजिटल तकनीक के प्रयोग ने न केवल प्रशासनिक दक्षता बढ़ाई है बल्कि नागरिकों को शासन के साथ प्रत्यक्ष रूप से जोड़ दिया है। उदाहरण के लिए, जनधन योजना के माध्यम से वित्तीय समावेशन ने गरीब तबके तक सरकारी लाभ पहुँचाने में क्रांतिकारी परिवर्तन किया। इसी प्रकार, डिजिटल इंडिया ने शासन को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर लाकर पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही को मजबूती दी है। मिशन कर्मयोगी के माध्यम से नौकरशाही में मानवीय संवेदनशीलता और पेशेवर दक्षता को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे शासन केवल आदेश देने वाला नहीं, बल्कि नागरिक सेवा पर केंद्रित प्रणाली बने। राजनीति विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो ये सभी कार्यक्रम “शासन का लोकतंत्रीकरण” (Democratization of Governance) हैं, जहाँ राज्य और नागरिकों के बीच संवाद की प्रक्रिया सक्रिय हो रही है।

“विकसित भारत @ 2047” का एक महत्वपूर्ण पक्ष सहभागी लोकतंत्र (Participatory Democracy) है। यह विचार इस मान्यता पर आधारित है कि लोकतंत्र की शक्ति केवल मत देने तक सीमित नहीं, बल्कि नीति निर्माण और शासन प्रक्रिया में नागरिकों की सक्रिय भागीदारी में निहित है। पंचायती राज संस्थानों, शहरी स्थानीय निकायों और नागरिक मंचों के सशक्तीकरण के माध्यम से यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि नीति निर्माण स्थानीय स्तर से प्रारंभ हो। इस प्रकार की नीचे से ऊपर तक की नीति-निर्माण प्रणाली (Bottom&up Policy System) न केवल शासन को अधिक समावेशी बनाती है बल्कि यह विकास की स्थिरता और दीर्घकालिकता को भी सुनिश्चित करती है। विकसित भारत @ 2047 की रूपरेखा इसी विचार पर आधारित है कि स्थानीय शासन ही वास्तविक विकास का आधार है। जब नागरिक अपने समुदाय की समस्याओं के समाधान में भागीदार बनते हैं, तब नीति अधिक प्रासंगिक, प्रभावी और टिकाऊ बनती है।

नीतिगत उत्तरदायित्व (Policy Accountability) इस पहल की तीसरी प्रमुख धुरी है। यह सुनिश्चित करता है कि शासन केवल नीतियाँ बनाने में ही निपुण न हो, बल्कि उन नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन भी करे और जनता के प्रति जवाबदेह बने। नीति आयोग की "भारत @ 2047" रूपरेखा में नीति मूल्यांकन और परिणाम-आधारित शासन पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिए "डेटा आधारित नीति निर्माण" (Data&driven Policy Making) को प्राथमिकता दी जा रही है, जहाँ निर्णय और नीतियाँ तथ्यों, प्रमाणों और नागरिक प्रतिक्रिया पर आधारित हों। इस प्रक्रिया ने शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को नया आयाम दिया है। उदाहरण के लिए, जनसुनवाई और नागरिक प्रतिक्रिया प्लेटफॉर्म जैसे डिजिटल उपकरणों ने शासन को तत्कालीन रूप से उत्तरदायी बनाया है। इससे नागरिकों की शिकायतें त्वरित रूप से हल हो रही हैं और नीतिगत सुधारों की प्रक्रिया भी निरंतर चलती रहती है।

"विकसित भारत @ 2047" का एक और महत्वपूर्ण पहलू सतत विकास (Sustainable Development) है। भारत यह स्वीकार करता है कि आर्थिक प्रगति तभी सार्थक है जब वह पर्यावरणीय संतुलन और सामाजिक न्याय के साथ आगे बढ़े। इसलिए नीति निर्माण में पर्यावरणीय सुरक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, और हरित विकास को प्रमुख स्थान दिया गया है। सौर ऊर्जा, जैव ईंधन, और हरित औद्योगिकीकरण जैसी नीतियाँ भविष्य के भारत को पर्यावरणीय दृष्टि से अधिक सुरक्षित और टिकाऊ बनाने में सहायक हैं। यह दृष्टिकोण वैश्विक स्तर पर भारत को एक "उत्तरदायी शक्ति" (Responsible Power) के रूप में स्थापित करता है, जो विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन साधने में अग्रणी भूमिका निभा रहा है।

संस्थागत सुदृढीकरण (Institutional Strengthening) भी विकसित भारत की यात्रा का अनिवार्य अंग है। शासन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि उसकी संस्थाएँ कितनी सक्षम, पारदर्शी और नागरिकोन्मुखी हैं। भारत सरकार ने प्रशासनिक सुधारों के तहत नौकरशाही में पारदर्शिता, प्रशिक्षण और परिणाम-आधारित मूल्यांकन की प्रक्रिया को सशक्त किया है। "मिशन कर्मयोगी" इसका उत्कृष्ट उदाहरण है, जो नौकरशाहों को केवल नियम पालन तक सीमित नहीं रखता बल्कि उन्हें नीति-निर्माण में सहभागी और नागरिक-केंद्रित बनाता है। इसके अतिरिक्त, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के बीच संतुलन स्थापित करना भी सुशासन के लिए आवश्यक है, ताकि निर्णय प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और उत्तरदायी रहे।

राजनीतिक विज्ञान के सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य से देखें तो "विकसित भारत @ 2047" की पहल "नीतिगत लोकतंत्र" (Policy Democracy) की अवधारणा को सशक्त करती है। यह लोकतंत्र केवल शासन प्रणाली नहीं, बल्कि शासन संस्कृति (छवअमतदंदबम Culture) बनाता है – जहाँ नीति निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन तीनों में नागरिक की भूमिका केंद्रीय होती है। इससे लोकतंत्र केवल चुनावी प्रक्रिया न रहकर एक सतत संवादात्मक प्रणाली में परिवर्तित हो जाता है। यह विचार अमर्त्य सेन के "क्षमता दृष्टिकोण" (Capability Approach) से भी मेल खाता है, जिसमें विकास को केवल आर्थिक वृद्धि नहीं, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता और क्षमता विस्तार की प्रक्रिया माना गया है।

अंततः, "विकसित भारत @ 2047" का विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि यह पहल एक नीतिगत, संरचनात्मक और नैतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। इसका उद्देश्य भारत को उस दिशा में ले जाना है जहाँ शासन संवेदनशील हो, नीति वैज्ञानिक हो, और नागरिक सशक्त हों। यह पहल एक ऐसे लोकतंत्र की नींव रखती है जो जवाबदेही, सहभागिता और पारदर्शिता पर आधारित है। यदि यह दृष्टि अपने वास्तविक स्वरूप में साकार होती है, तो 2047 का भारत केवल विकसित नहीं बल्कि सशक्त, न्यायपूर्ण और आत्मनिर्भर लोकतांत्रिक

राष्ट्र के रूप में विश्व पटल पर उभरेगा – जहाँ शासन का अर्थ सत्ता नहीं, बल्कि सेवा होगा, और विकास का अर्थ केवल समृद्धि नहीं, बल्कि समावेशन और समानता होगा।

निष्कर्ष और नीति सुझाव – “विकसित भारत @ 2047” केवल एक प्रशासनिक अभियान नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय चेतना, एक दूरदृष्टि और एक जनआंदोलन के रूप में उभर रहा है, जो भारत को उसकी स्वतंत्रता के सौवें वर्ष में एक पूर्ण विकसित, समावेशी और उत्तरदायी राष्ट्र के रूप में स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। यह पहल यह स्वीकार करती है कि किसी भी राष्ट्र की वास्तविक प्रगति केवल आर्थिक विकास दर से नहीं, बल्कि उसके शासन की गुणवत्ता, नीति की प्रभावशीलता, और नागरिकों की भागीदारी के स्तर से मापी जाती है। इस दृष्टि से देखा जाए तो विकसित भारत @ 2047 एक सुशासन आधारित विकास मॉडल प्रस्तुत करता है, जो लोकतंत्र, पारदर्शिता, जवाबदेही और सहभागिता के सिद्धांतों पर आधारित है। यह पहल शासन और नागरिकों के बीच विश्वास (Trust) को पुनर्स्थापित करने का प्रयास करती है, ताकि नीति निर्माण और क्रियान्वयन के प्रत्येक चरण में जनता की आवाज़ सुनी जा सके।

राजनीति विज्ञान के संदर्भ में “विकसित भारत @ 2047” को एक संरचनात्मक परिवर्तनकारी प्रक्रिया (Structural Transformative Process) के रूप में देखा जा सकता है। यह न केवल शासन की कार्यप्रणाली को बदलने की कोशिश करता है, बल्कि नागरिकों और राज्य के बीच संबंधों को भी पुनर्परिभाषित करता है। इसमें नागरिक को केवल नीतियों के लाभार्थी के रूप में नहीं, बल्कि नीति-निर्माण के साझेदार (Policy Co-creator) के रूप में देखा गया है। यह विचार आधुनिक लोकतंत्र की उस अवधारणा को मूर्त रूप देता है जिसमें शासन “जनता के लिए” ही नहीं बल्कि “जनता के द्वारा” भी संचालित होता है।

यदि “विकसित भारत @ 2047” को अपने लक्ष्य तक पहुँचना है, तो इसके लिए कुछ प्रमुख नीति दिशाओं को सुदृढ़ करना आवश्यक है। सबसे पहले, नीतिगत पारदर्शिता (Policy Transparency) को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। नीति-निर्माण की प्रत्येक प्रक्रिया नागरिकों के लिए खुली, सुलभ और समझने योग्य होनी चाहिए। इसके लिए सरकार को डिजिटल प्लेटफॉर्मों का अधिकतम उपयोग करते हुए नीतिगत दस्तावेजों, बजट और परिणामों को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराना चाहिए।

दूसरे, लोक नीति में नागरिक सहभागिता (Public Participation) को संस्थागत रूप दिया जाना चाहिए। केवल चुनावों के समय जनता की भागीदारी पर्याप्त नहीं है; नीति-निर्माण, क्रियान्वयन और मूल्यांकन कृ इन तीनों चरणों में नागरिकों की सक्रिय भूमिका सुनिश्चित की जानी चाहिए। इसके लिए “जन नीति मंच” (People’s Policy Forums) जैसी संस्थाओं की स्थापना की जा सकती है जहाँ नागरिक सीधे अपने सुझाव और अनुभव साझा कर सकें।

तीसरे, नीतिगत उत्तरदायित्व (Policy Accountability) को शासन संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाना होगा। हर नीति का परिणाम, खर्च, और प्रभाव समय-समय पर सार्वजनिक रूप से मूल्यांकित किया जाए। नीति आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG), और नागरिक समाज संगठनों को इस प्रक्रिया में सशक्त भूमिका निभाने दी जाए। जवाबदेही के बिना सुशासन केवल आदर्श रह जाएगा, व्यवहार नहीं।

चौथे, संस्थागत सुदृढ़ीकरण (Institutional Strengthening) पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। भारत की लोकतांत्रिक संस्थाएँ जैसे संसद, न्यायपालिका, और नौकरशाही को पारदर्शी और उत्तरदायी बनाने के लिए निरंतर प्रशिक्षण, डिजिटल नवाचार और नैतिक सुदृढ़ीकरण आवश्यक है। “मिशन कर्मयोगी” जैसे

कार्यक्रमों को स्थानीय स्तर तक विस्तारित कर, जिला और पंचायत स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों को भी नीति-निर्माण में प्रशिक्षित किया जाना चाहिए।

पाँचवाँ, सतत और हरित विकास (Sustainable and Green Development) को राष्ट्रीय नीति का केंद्र बनाया जाना चाहिए। विकसित भारत का अर्थ केवल औद्योगिक वृद्धि नहीं बल्कि पर्यावरण-संतुलित प्रगति होना चाहिए। ऊर्जा नीति में नवीकरणीय स्रोतों का बढ़ता उपयोग, हरित शहरों का विकास, और जलवायु परिवर्तन पर उत्तरदायी रणनीतियाँ भारत को वैश्विक नेतृत्व की दिशा में अग्रसर कर सकती हैं।

छठा, डिजिटल लोकतंत्र (Digital Democracy) को सशक्त बनाना भी आवश्यक है। डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस ने शासन को जनता तक पहुँचाया है, परंतु अब यह सुनिश्चित करना होगा कि यह डिजिटल पहुँच ग्रामीण और वंचित वर्गों तक भी समान रूप से पहुँचे। "डिजिटल साक्षरता" को शासन का अभिन्न हिस्सा बनाया जाए, ताकि तकनीक असमानता को बढ़ाने के बजाय समानता और सहभागिता का माध्यम बने।

सातवाँ, नीति में नैतिकता और मूल्य-आधारित शासन (Ethical Governance) की अवधारणा को पुनः स्थापित किया जाना चाहिए। गांधीजी का "सत्य और अहिंसा पर आधारित प्रशासन" तथा डॉ- आंबेडकर का "संविधानिक नैतिकता" का विचार आज भी उतना ही प्रासंगिक है। नीतियाँ तभी सफल होंगी जब वे संवेदनशीलता, समावेशन और न्याय पर आधारित हों।

राजनीति विज्ञान की दृष्टि से "विकसित भारत @ 2047" की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या भारत अपने लोकतंत्र को प्रक्रियात्मक (Procedural) से आगे बढ़ाकर सारगर्भित (Substantive) बना पाता है। इसका अर्थ यह है कि लोकतंत्र केवल चुनावों तक सीमित न रहकर जीवन के हर क्षेत्र में समानता, न्याय और भागीदारी को सुनिश्चित करे। शासन का उद्देश्य सत्ता का केंद्रीकरण नहीं, बल्कि नागरिक सशक्तिकरण होना चाहिए।

अंततः यह कहा जा सकता है कि "विकसित भारत @ 2047" एक ऐसी ऐतिहासिक पहल है जो भारत को एक नए युग की ओर ले जा रही है। जहाँ शासन संवेदनशील होगा, नीति पारदर्शी होगी, और नागरिक सहभागिता शासन की आत्मा बनेगी। यह पहल भारत को उस मार्ग पर स्थापित करती है जहाँ विकास का अर्थ केवल भौतिक समृद्धि नहीं, बल्कि मानवीय गरिमा, सामाजिक न्याय और पर्यावरणीय संतुलन का समन्वय होगा। यदि यह दृष्टि अपने संपूर्ण स्वरूप में साकार होती है, तो 2047 का भारत विश्व के लिए "सुशासन आधारित लोकतंत्र" का आदर्श मॉडल बन सकता है – एक ऐसा राष्ट्र जो न केवल आर्थिक रूप से विकसित होगा, बल्कि नैतिक रूप से सशक्त, सामाजिक रूप से समावेशी और राजनीतिक रूप से उत्तरदायी भी होगा।

संदर्भ सूची

- 1— NITI Aayog. (2021) & India @ 2047: Vision, Strategy and Roadmap. Government of India & pp 1–45.
- 2& World Bank. (2020) & Governance Indicators for India. World Development Report, Washington D.C. pp. 56–89.
- 3& Sen, A. (1999). Development as Freedom. Oxford University Press. pp 35–102.
- 4& Kalam, A. P. J. A. (2004) & India 2020: A Vision for the New Millennium. Penguin Books. Pp. 141–165.

- 5& UNDP. (2022) Human Development Report: Governance for Sustainable Development. United Nations, New York. Pp. 67&110.
- 6& Basu, D. D. (2019). Introduction to the Constitution of India. LeÛisNeÛis Publications. pp. 101–138.
- 7& Mehta, P. B. (2010). The Burden of Democracy. Penguin Books India. pp. 85–122.
- 8& Nussbaum, M. C. (2011). Creating Capabilities: The Human Development Approach. Harvard University Press. pp. 43–75.
- 9& Chatterjee, P. (2004). The Politics of the Governed. Columbia University Press. pp. 59–98.
- 10& Rudolph, L. I., & Rudolph, S. H. (1987). In Pursuit of Lakshmi: The Political Economy of the Indian State. University of Chicago Press. pp. 220–265.
- 11& Nandy, A. (2002). Time Warps: The Insistent Politics of Silent and Evasive Pasts. Permanent Black. Pp. 110–142.
- 12& Government of India. (2023). Good Governance IndeÛ 2023. Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions. pp. 1–80.
- 13& Planning Commission. (2013). Administrative Reforms Commission Report, Vol. 15. New Delhi. pp. 12–65.
- 14& Hansen, T. B. (2019). The Law of Force: The Violent Heart of Indian Politics. Stanford University Press. pp. 45–87.
- 15& Jaffrelot, C. (2021). Modi*s India: Hindu Nationalism and the Rise of Ethnic Democracy. Princeton University Press. pp. 211–245.&
- 16& Shourie, A. (2014). Governance and the Sclerosis That Has Set In. Rupa Publications. Pp. 53–104.
- 17& Gandhi, M. K. (1958). Hind Swaraj. Navajivan Publishing House. Pp. 33–66.
- 18& Ambedkar, B. R.(1948). The Problem of Rupee and Governance in India. Government of India Press. pp. 78–112.
- 19& OECD. (2022). Open Government Review of India. OECD Publishing, Paris. pp. 56–95.
- 20& World Economic Forum. (2023). Future of Governance Report. Geneva. pp. 34–78.